न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-010(GCMS2024-52)

1. बक्साराम पुत्र चांदाराम विश्नोई
2. भंवरलाल पुत्र पेमाराम विश्नोई
   निवासीगण ग्राम मानेवडा
   तहसील घटियाली, जिला फलोदी

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. महेन्द्र कुमार पुत्र भाखरराम विश्नोई
2. राजेन्द्रकुमार पुत्र हनुमानराम विश्नोई
   निवासीगण ग्राम खिदरत,तहसील बाप
   जिला फलोदी
3. भगवती पत्नी धर्माराम विश्नोई
4. समदा पत्नी हनुमानराम विश्नोई
5. रामेश्वरी पत्नी मुकनाराम विश्नोई
   निवासीगण ग्राम मानेवडा, तहसील घटियाली
   जिला फलोदी
6. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप
   जिला फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 23 मई 2023 राजस्व वाद संख्या 40/2022 अनवान महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम बक्साराम आदि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6

बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय

दिनांक : 19 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2022 अनवान महेन्द्रकुमार व अन्य बनाम बक्साराम आदि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 23 मई 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड, तहसील बाप जिला फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 219/5 रकबा 16.9968 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 23 मई 2023 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स ग्राम मानेवडा के निवासी है, जिसकी पुष्टि उनके आधार कार्ड से होती है, मगर विचारण न्यायालय में सम्मन गलत पता गांव खिदरत अंकित करते हुए भिजवाये गये है, जिससे अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की समुचित

तामील हुए बिना ही विचारण न्यायालय में उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही कर दी गयी। इस प्रकार अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी मामले में किसी प्रकार का कोई विवाद बिन्दु कायम किये बिना एवं अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित कर दिये गये। जिस बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। रेस्पो.-वादीगण पटवारी को लेकर मौके पर आये और फोन पर अपीलाण्ट्स को बेदखल करने की धमकी दी और बताया कि उसके द्वारा सडक वाले हिस्से परबंटवारा करवा लिया है। जिस पर अपीलाण्ट्स ने नकल हेतु आवेदन किया जो नकल 02 फरवरी 2024 को प्राप्त होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने एवं गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स पर सीपीसी के प्रावधानानुसार सम्यक तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये और न ही उनके द्वारा कोई जबाबदावा आदि प्रस्तुत किया गया। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ग्राम खिदरत का निवासी दर्ज है और इसी अनुसार सम्मन भिजवाये गये है। वादीगण-रेस्पो. द्वारा अपने वाद में किसी प्रकार की कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं चाही गयी है, मात्र वादग्रस्त आराजी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन और तदनुसार स्थायी

निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा गया है। पक्षकारान के हिस्सों बाबत कोई विवाद नहीं है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी बांबत राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी है। आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स द्वारा निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2077-2080 ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड में आराजी खसरा संख्या 219/5 रकबा 16.9968 बाबत सहखातेदारान को "सा. देह" दर्शाया गया है अर्थात निवास स्थाग ग्राम खिदरत अंकित है। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के निवास स्थान अंकित करते हुए मूल वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं एवं पोस्टल रसीदात के अनुसार अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से करवाया जाना प्रकट होता है, फिर भी प्रकरण गुणावगुण पर मामले का निस्तारण किये जाने हेतु न्यायहित में आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पों. द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस

विभाजन एवं तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। सम्मनों की सम्यक एवं समुचित तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये और न ही उनकी ओर से कोई जबाब-दावा आदि प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में मामले में तनकियात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः वादीगण की सुनवाई के बाद विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान जमाबंदी में पक्षकारान के दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के द्वारा वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारान के हिस्सों बाबत किसी प्रकार का कोई फेर-बदल नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है जिनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता एवं आधार उपलब्ध नहीं है।

अतः अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत आलौच्य अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 23 मई 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. बक्साराम पुत्र चांदाराम विश्नोई 2. भंवरलाल पुत्र पेमाराम विश्नोई निवासीगण ग्राम मानेवडा तहसील घटियाली, जिला फलोदी	ब ना म	1. महेन्द्र कुमार पुत्र भाखरराम विश्नोई 2. राजेन्द्रकुमार पुत्र हनुमानराम विश्नोई निवासीगण ग्राम खिदरत,तहसील बाप जिला फलोदी 3. भगवती पत्नी धर्माराम विश्नोई 4. समदा पत्नी हनुमानराम विश्नोई 5. रामेश्वरी पत्नी मुकनाराम विश्नोई निवासीगण ग्राम मानेवडा, तहसील घटियाली जिला फलोदी 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला फलोदी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 23 मई 2023 राजस्व वाद संख्या 40/2022 अनवान महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम बक्साराम आदि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 19 नवम्बर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत आलौच्य अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 23 मई 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

... निरन्तर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये -------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 19 नवम्बर 2024 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर